न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

मु.नं. - 82/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
16.11.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की सम्यक तामिल होने के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर वकालातनामा पेश किया जो शामिल मिशल किया गया। प्रकरण में वकील वादी व वकील तरतीबी प्रतिवादीगण ने प्रकरण में अंतिम बहस आज ही सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट पर वकील वादी व वकील तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा सहमति जाहिर की गई। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

16/11/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
82/2020	2020/00146	08.07.2020	16.11.2023

उनवान प्रकरण

1. कुशलदास पुत्र श्री भींवादास आयु 70 वर्ष जाति स्वामी निवासी ग्राम दौलतपुरा तन् हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

— वादी—

बनाम

1. पटवारी, पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2. नायब तहसीलदार अजीतगढ़ जिला सीकर (राज0)
3. तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—प्रतिवादीगण —

4. जयरामदास पुत्र श्री भींवादास
5. धौंकलदास पुत्र श्री भींवादास
6. अर्जुनदास पुत्र श्री रामूदास
7. नारायणदास पुत्र श्री रामूदास
8. पूर्णदास पुत्र श्री रिछपालसिंह
9. बाबूलाल पुत्र श्री बोदूदास

समस्त जाति स्वामी निवासीगण ग्राम दौलतपुरा तन् हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

———तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 वादी अभिभाषक।
श्री नरेश कुमार शर्मा एड0 तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार प्रतिवादीगण संख्या 1 3 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:04 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र बाबत् रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 का0अ0 अधिनियम)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2065 रकबा 2.65 हैक्टर तन् ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। जिसकी खातेदारी वादी व तरतीबी पक्षकारगण के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। भूमि खसरा नम्बर 2065 पूर्व में चारागाह किश्म की भूमि थी जो न्यायालय एसीएम साहब के [redacted] भूमि खसरा नम्बर 2065 रकबा 2.65 हैक्टर किश्म बंजड़ की खातेदारी केशरसिंह पुत्र माधोसिंह, भंवरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत के नाम खातेदारी दर्ज हुयी थी। वादी व तरतीबी पक्षकारगण ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 2065 रकबा 2.65 हैंक्टर तन् ग्राम दौलतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर को छीतरसिंह पुत्र केशरसिंह, भंवरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम हाथीदेह से दिनांक 05.01.1996 को जरिये रजिस्ट्री खरीद की थी तथा वर्तमान में उक्त भूमि की खातेदारी वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। भूमि खसरा नम्बर 2065 के पुराने खसरा नम्बर 1550 थे जिसका रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा था तथा भूमि खसरा नम्बर 2104 का रकबा 0.27 हैक्टर था जिसके पुराने खसरा नम्बर 1553 थे। वादी व तरतीबी पक्षकारगण अपनी भूमि खसरा नम्बर 2065 रकबा 2.65 हैक्टर तन् ग्राम दौलतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) पर पूर्णतया काबिज काश्त चले आ रहे हैं। राजस्व कर्मचारियों की गफलत से वादी की भूमि खसरा नम्बर 2065 रकबा 2.65 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 1550 थे, को राजस्व कर्मचारियों ने बदलकर राजस्व नक्शे में पुराने खसरा नम्बर 1550 की जगह नया खसरा नम्बर 2104 किश्म चारागाह दर्शा दिया गया। जबकि राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 1550 की जगह खसरा नम्बर 2065 अंकित किया जाना था तथा इसी प्रकार गफलत से खसरा नम्बर 2065 सम्पूर्ण को रास्ते की भूमि में दर्शा दिया गया। जबकि खसरा नम्बर 2065 का रकबा 2.65 हैक्टर ही हैं। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों की गफलत से वादी व तरतीबी पक्षकारगण की भूमि खसरा नम्बर 2065 रकबा 2.65 हैक्टर भूमि राजस्व नक्शे में 2104 किश्म चारागाह में प्रदर्शित हो रही है। जबकि खसरा नम्बर 2104 पूर्व में नाले की भूमि गै.मु. नाला दर्ज थी तथा वादी की सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 2065 को गलत रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:04 IST
Reason: SelfAttested

6/11/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

नक्शे की भूमि में दर्शा दिया गया जो दुरूस्तनीय हैं। इसी प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिलान क्षैत्रफल में पुराने भूमि खसरा नम्बर 1550 का रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा प्रदर्शित कर रखा है तथा नये खसरा नम्बर 1550 का नया खसरा नम्बर 2065 रकबा 0.26 हैक्टर किया गया जो की गलत हैं, जबकि जमाबंदी में खसरा नम्बर 2065 रकबा 2.65 हैक्टर हैं, जो दुरूस्तनीय हैं। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 2104 के पुराने खसरा नम्बर 1553 से 2104 का क्षैत्रफल 0.27 हैक्टर होना चाहिये था जो राजस्व रिकार्ड कर्मचारियों की गफलत से 2.65 हैक्टर दर्ज कर दिया गया जो की दुरूस्तनीय हैं। वादी द्वारा अपनी भूमि खसरा नम्बर 2065 का राजस्व नक्शा निकलवाने पर दिनांक 05.06.2020 को उक्त गफलत की जानकारी हुई हैं लेकिन वर्तमान समय में कोविड–19 प्रकोप के कारण न्यायिक कार्य स्थगित होने के कारण एंव आवागमन बंद होने के कारण वादपत्र पेश नही कर पाया था इस कारण अब वादकारण उत्पन्न होकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ। विवादित भूमि के राजस्व नक्शे में गफलत होने से वादीगण को सख्त हकतल्फी है तथा वादीगण के हक हकूक गम्भीर रूप से आधातीत हो रहे है व सरकारी सहायताओ, अनुदानो एंव ऋण आदि नही मिलने से भूमि का समुचित विकास नही कर पा रहे है, जिससे भी वादी को अपूर्तनीय हानि हो रही है। जबकि मौके पर हमेशा की भांति वर्तमान में वादीगण ने काश्त कर रखी है। अतः वादी ने अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के राजस्व नक्शे में पुराने खसरा नम्बर 1550 की जगह जो 2104 नया नक्शा दर्ज किया गया है, उसकी जगह खसरा नम्बर 2065 दर्ज किया जावें तथा पुराने खसरा नम्बर 1553 के नये खसरा नम्बर 2104 को पुराने खसरा नम्बर 1553 के अनुसार राजस्व नक्शा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है तथा राजस्व रिकार्ड मिलान क्षैत्रफल में भूमि खसरा नम्बर पुराना 1550 का क्षैत्रफल 11 बीघा 6 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 2065 रकबा 0.27 हैक्टर दर्शा रखा हैं, उसे भी 0.27 हैक्टर की जगह 2.65 हैक्टर कर दुरूस्त [illegible] जावें तथा भूमि पुराना खसरा नम्बर 1553 का नया खसरा नम्बर 2104 हैक्टर मिलान क्षैत्रफल 0.27 हैक्टर हैं जबकि मिलान क्षैत्रफल में गफलत से 2.65 हैक्टर दर्शा रखा हैं, [illegible] दुरूस्त कर 0.27 हैक्टर किये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:04 IST
Reason: SelfAttested

16/11/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। सम्यक तामिल के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 9 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एवं वादी के मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र व गवाह/साक्ष्य में प्रमोद स्वामी पुत्र बंशीदास, मदनलाल स्वामी पुत्र सीतादास, मदनलाल पुत्र भींवादास के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुये जो शामिल मिशल किये गये। प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को जारी तहरीर आदेश की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पत्रांक भू.अ./23/745 दिनांक 20.04.2023 द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी व वकील तरतीबी प्रतिवादीगण ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पालना रिपोर्ट पेश कर दिये जाने व साक्ष्य वादी/गवाहान के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश कर दिये जाने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादी व वकील तरतीबी प्रतिवादीगण की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी व वकील तरतीबी प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 जमाबंदीं, मिलान [illegible], नया व पुराना नक्शा, तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट, साक्ष्य वादी/गवाह के मुख्य परीक्षण में पेश लिखितशुदा शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में दर्ज रिकॉर्ड भूमि खसरा नम्बर 2065 रकबा 2.65 है0 किस्म [illegible] अर्जुनदास पुत्र रामूदास हि0 [illegible] हि0 1/12, 1/8, कुशलदास पुत्र भींवादास हि0 5/24 [illegible] रामदास हि0 1/8, पूरणदास पुत्र धोंकलदास पुत्र भींवादास हि0 5/24, नारायणदास पुत्र रामदास हि0 1/8, बाबूलाल पुत्र बोदूदास हि0 1/8 कौम स्वामी सा0 देह में खसरा रिछपाल दास हि0 1/8,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:04 IST
Reason: SelfAttested

16/11/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

नम्बर 2065 रकबा 0.27 है0 किस्म चारागाह दुरूस्त किये जाने योग्य है तथा वर्तमान में दर्ज रिकॉर्ड भूमि खसरा नम्बर 2104 रकबा 0.27 है0 किस्म चारागाह में खसरा नम्बर 2104 रकबा 2.65 है0 किस्म बंजड़–2 अर्जुनदास पुत्र रामूदास हि0 1/8, कुशलदास पुत्र भींवादास हि0 5/24, जयरामदास पुत्र भींवादास हि0 1/12, धोंकलदास पुत्र भींवादास हि0 5/24, नारायणदास पुत्र रामूदास हि0 1/8, पूरणदास पुत्र रिछपाल दास हि0 1/8, बाबूलाल पुत्र बोदूदास हि0 1/8 कौम स्वामी सा0 देह दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त अनुसार वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना प्रकट होता है। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख को दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के वर्तमान में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड भूमि खसरा नम्बर 2065 रकबा 2.65 है0 किस्म बंजड़ अर्जुनदास पुत्र रामूदास हि0 1/8, कुशलदास पुत्र भींवादास हि0 5/24, जयरामदास पुत्र भींवादास हि0 1/12, धोंकलदास पुत्र भींवादास हि0 5/24, नारायणदास पुत्र रामूदास हि0 1/8, पूरणदास पुत्र रिछपाल दास हि0 1/8, बाबूलाल पुत्र बोदूदास हि0 1/8 कौम स्वामी सा0 देह को दुरूस्त कर खसरा नम्बर 2065 रकबा 0.27 है0 किस्म चारागाह किये जाने व रहनमुक्त किये जाने तथा ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के वर्तमान में दर्ज रिकॉर्ड भूमि खसरा नम्बर 2104 रकबा 0.27 है0 किस्म चारागाह को दुरूस्त कर खसरा नम्बर 2104 रकबा 2.65 है0 किस्म बंजड़–2 अर्जुनदास पुत्र रामूदास हि0 1/8, कुशलदास पुत्र भींवादास हि0 5/24, जयरामदास पुत्र भींवादास हि0 1/12, धोंकलदास पुत्र भींवादास हि0 5/24, नारायणदास पुत्र रामूदास हि0 1/8, पूरणदास पुत्र रिछपाल दास हि0 1/8, बाबूलाल पुत्र बोदूदास हि0 1/8 कौम स्वामी सा0 देह को दुरूस्त किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:04 IST
Reason: SelfAttested

16/11/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

...खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश ...या जाता है एवं रहननामा भूमि खसरा नम्बर 2065 के बजाय 2104 पर दर्ज हो। ...तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व ...संभावना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री ...जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

16/11/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक **16.11.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/11/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:04 IST
Reason: SelfAttested